

**पत्रांक-श्रम क०सं०-62/2024-६०५**  
**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग**  
**बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति**  
**आदेश**

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, रोहतास के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को **रु० 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र)** का भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक सं०-1415, दिनांक-12.11.2024 क्रम संख्या-12 में वर्णित खाता संख्या में राशि अंतरित किया गया था, परन्तु आश्रित/लाभार्थी के बैंक खाता में त्रुटि रहने के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-1415, दिनांक-12.11.2024 क्रम संख्या-12 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक-47, दिनांक-09.01.2026 एवं लेखापाल के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति हेतु आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.ए.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० सुरेन्द्र राम, 50 ललित राम, अनुसूचित जाति	गुड़िया देवी, (पत्नी)	47, 09.01.2026 1486, 07.10.2024	ग्रा०+पो०-लेहरी, धाना+प्र०-कोचस, जिला-रोहतास, 8827296158	239700 170043 6868	PNB, PUNBO 23970 0	रु० 1,00,000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य

**कुल:- रु० 1,00,000/-**  
**(एक लाख रूपए मात्र)**

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक-1415, दिनांक-12.11.2024 क्रम संख्या-12 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

**ह०/-**  
(रोहित कुमार),  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

**ह०/-**  
(राजेश भारती),  
कार्यकारी निदेशक


ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-62/2024-६०५

पटना, दिनांक :- ११/०१/२०२६

**प्रतिलिपि :-** शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं




हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 1,00,000/- (एक लाख रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, पटना/श्रम अधीक्षक, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
Signed by Rohit Kumar

Date: 05-05-2026 13:04:29

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
Signed by Rajesh Bhatti

Date: 07-05-2026 17:29:15

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक